

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा

E-mail ID-servdnalanda@gmail.com

Mob. 8986915938

पत्रांक :- 10/4

नालन्दा / दिनांक :- 26/9/2025

प्रेषक,

ई0 संजीव कुमार,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हिलसा।

विषय:-

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-RRSMP/24-25 Hilsa/03 (Tender ID-143546) का पुनर्निर्माण/ उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंग:-

मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-मु0अ0-1/निविदा 07-322/2025-1960 पटना, दिनांक-26.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-RRSMP/24-25 Hilsa/03 (Tender ID-143546) का पुनर्निर्माण/ उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य आपके अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार SANJAY KUMAR TECHNOCRATE PRIVATE LIMITED (BID ID-626603) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -9.29 (नौ दशमलव दो नौ) प्रतिशत कम पर अर्थात् 16,12,64,870.00 (सोलह करोड़ बारह लाख चौसठ हजार आठ सौ सत्तर) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-मु0अ0 (अ0उ0) 4515-01-791/2025 पार्ट-III-3680 अनु0 दिनांक-24.09.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अग्रधन सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1. कार्य का निष्पादन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत के मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरूप किया जायेगा।
2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वादाहरण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए CMBD की कंडिका 34.1 के अनुरूप Performance Security के लिए तथा निविदा के समय CMBD की कंडिका 17.1 के अनुरूप Bid Security के लिए जमा की गई राशि का सत्यापन संबंधित बैंक से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. एकरारनामा से पूर्व निविदाकार द्वारा समर्पित निविदा दस्तावेजों की विधिवत् जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे। जाँच प्रक्रिया में कम से कम समय लगे, इसका ख्याल रखा जाय। बिना जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये एकरारनामा नहीं किया जाय। एकरारनामा पश्चात् कागजातों में गड़बड़ी पायी जाती है तो इसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर ली जाएगी।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य करते समय इसमें कमी पाई जाती है, तो उसके दर में सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

Managing Director

Executive Engineer
Rural Works Department
Hilsa Division, Hilsa

8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक विन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में परतुस्थिति से तत्काल असहमतताओं की अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपयोगी एकरासनामा की कार्यवाही की जाएगी।
9. विदुषि तुलना का भुगतान वार्षिक सूची से जुड़ाव या प्राक्कलन में स्वीकृत होना नहीं है जो कम होगा, संवेदक को भुगतान हेतु अनुमान्य होगा।
10. एकरासनामा के समय प्रत्येक मत की भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
11. कार्यालय के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्यस्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से सूची तरह आवश्यक हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्राथमिक स्वीकृति के अपसारण प्रारूप में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
12. कार्यदेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरासनामा के एकरासनामा का नाम होगा।
13. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मानक विधिविधियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर कार्य पूरा की जाए।
14. कार्य समाप्ति की अवधि एन0आई0डी0/CMBD के अनुसार होगी।
15. सफल संवेदक के साथ CMBD की कंडिका-33.1 एवं 33.2 के अनुसार एकरासनामा कर कार्य प्रारंभ करवाया जायेगा। एकरासनामा करने के लिए संवेदक को CMBD की कंडिका 33.2 के अनुसार एक निश्चित समय सीमा दी जायेगी और उसके अंदर सभी बाधित कामजातों के साथ उपस्थिति नहीं होने पर एकरासनामा के शर्तों के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जायेगी।
16. इस कार्य का व्यय शीर्ष 4515 MMGSUY (RISMP) अंतर्गत की गई उपबंधित राशि से विकसित होगा।
17. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की पंचमी तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाये।
18. एकरासनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आवश्यक हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डियार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
19. यदि सफल निवेदादाता विभाग में निबंधित नहीं है तो एकरासनामा के पूर्व उन्हें विभाग में निश्चित नियंत्रण कराना आवश्यक होगा।
20. सभी निवेदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु जोड़ाई जाती है। निवेदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जाँचोपरान्त आप आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
21. विभागीय पत्रांक-14/अ0प्र0-03-21/2021-489 अंजु दिनांक-28.01.2021 का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
22. प्रारंभिक पत्र में दिये गये संलग्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वराभाजन

(ई0 संजीव कुमार)
अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा

ज्ञापक-10/4

प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

नालन्दा/दिनांक-26/1/25

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल नालन्दा

ज्ञापक-10/4

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

नालन्दा/दिनांक-26/1/25

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल नालन्दा

Sanjay Kumar To: nandale Pr. 110.

Managing Director

26/1/25

26/1/25